न्यायालय–रिविजन प्राधिकार–सह–सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

रिविजन वाद संख्या–वन मु०(री०)–08 / 2024

जितेन्द्र कुमार चौरसिया बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

यह रिविजनवाद जितेन्द्र कुमार चौरसिया, पिता–श्री हीरामन चौरसिया, ग्राम–देव पोखरपर, पो0+थाना–देव, जिला–औरंगाबाद द्वारा जिला दण्डाधिकारी–सह–समाहर्त्ता, औरंगाबाद के अपीलीय न्यायालय में दायर विविध (वन) अपील वाद सं0–14 / 2023 में दिनांक–18.07.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक–19.05.2022 को 03:00 बजे गश्ति दल सुबह में देव मोड़ से देव मोड़ से देव पथ पर गश्ती कर रहे थे, तो देव की तरफ से एक पिकअप 207 नं0–BR02 GA/4559 आया जिसे रोका गया एवं जाँच–पड़ताल की गई, तो उस वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या–BR02 GA/4559 था, में चार व्यक्तियों के द्वारा 150 घनफीट हरा जलावन की लकड़ियों को आरानगर के जंगलों से कटवाकर बेचने हेतु ओरंगाबाद लाया जा रहा था, जो भारतीय वन अधिनियम (बिहार संशोधन 1989) 1927 की धारा 33 (a) के तहत गैर जमानतीय दण्डनीय अपराध है। अपराधियों द्वारा उक्त वाहन से जलावन की लकड़ी का परिवहन किया गया, जो भारतीय वन अधिनियम (बिहार संशोधन 1989) अधिनियम 1927 की धारा 41, 42 के तहत गैर जमानतीय दण्डनीय अपराध है, इसी अधिनियम 52 के तहत पिकअप वाहन संख्या–BR02 GA/4559 एवं उस पर लदे 150 घनफीट जंगली जलावन की लकड़ी को जप्त किया गया एवं घटनास्थल पर जप्ती सूची बनाया गया था अभियुक्तों को जप्ती सूची की एक–एक प्रति दी गयी।

भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन 1989) की धारा 64 के तहत इसी अधिनियम की धारा 33(a) 41, 42 के उल्लंघन के जुर्म में चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर सुरक्षा हेतु जेल हाजत भेजा गया। अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि पिकअप वाहन संख्या–BR02 GA/4559 एवं उस पर लदे 150 घनफीट जंगली जलावन की लकड़ी के मालिक जितेन्द्र कुमा चौरसिया, पिता– हीरामन प्रसाद चौरसिया, ग्राम– देव पोखरा पर, थाना– देव,

जिला–औरंगाबाद है। वाहन मालिक अपने गिरफ्तार ड्राईवर गुड्डु कुमार के द्वारा जंगल की लकड़ियों को ढ़ोकर औरंगाबाद एवं आस–पास के क्षेत्रों में ले जाकर बिक्री करते थे तथा बिना परिवहन अनुज्ञा–पत्र के अपने वाहन से अवैध लकड़ियों की ढुलाई करते थे।

प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद वन प्रमंडल, औरंगाबाद के अधिहरण न्यायालय में अधिहरण वाद सं0–07/2022 दायर किया गया। उक्त वाद में प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद वन प्रंडल, औरंगाबाद द्वारा दिनांक–19.12.2022 को आदेश पारित करते हुए पिकअप वाहन 207– BR02 GA/4559 एवं अवैध जलावन की लकड़ी को अवैध पातन एवं अवैध परिवहन में संलिप्त रहने का अभियोग प्रमाणित होने पर भारतीय वन (बिहार संशोधन 1990) अधिनियम 1927 की धारा 52 (3) में निहित वैधानिक प्रावधानों के तहत सभी दायित्वों से मुक्त करते हुए बिहार सरकार के पक्ष में अधिग्रहित किया गया।

रिविजनकर्त्ता द्वारा अधिहरण न्यायालय में दिनांक–19.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, औरंगाबाद के अपीलीय न्यायालय में विविध (वन) अपील वाद सं0–14/2023: जितेन्द्र कुमार चौरसिया बनाम सरकार दायर किया गया। इस अपीलवाद में दिनांक–18.07.2023 को जिला दंडाधिकारी–सह–समहर्त्ता, औरंगाबाद द्वारा आदेश पारित करते हुए अपीलवाद को अस्वीकृत किया गया।

रिविजनकर्त्ता द्वारा समाहर्त्ता, औरंगाबाद के अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक–18.07.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध रिविजन न्यायालय में रिवजिन याचिका दायर की गई जिसके आधार पर रिविजन वाद सं0–08/24: जितेन्द्र कुमार चौरसिया बनाम बिहार राज्य एवं अन्य की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

रिविजनकर्त्ता द्वारा दाखिल याचिका अपीलीय प्राधिकार–सह–जिला दंडाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा विविध (वन) अपील वाद सं0–14/2023 में दिनांक–18.07.2023 को पारित आदेश, प्राधिककृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद के न्यायालय के अधिहरण वाद सं0–07/2022 में दिनांक–19.12.2022 को पारित आदेश, प्रतिवादी द्वारा दाखिल लिखित प्रतिउत्तर, उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस

से निम्नांकित बिन्दु स्पष्ट होते हैं:–

1. वाहन मालिक जितेन्द्र कुमार चौरसिया अपने ड्राइवर गुड्डु कुमार के साथ जंगल की लकड़ियों को ढ़ोकर औरंगाबाद एवं आसपास के क्षेत्रों में ले जाकर बिक्री करते थे तथा बिना परिवहन अनुज्ञा–पत्र के अपने वाहन से अवैध लकड़ियों की ढुलाई करते थे।

2. अनुसंधान के क्रम में ग्रामीण जनता से पूछताछ करने के क्रम में भी यह तथ्य सामने आया है कि जितेन्द्र कुमार चौरसिया स्वयं भी जंगल की लकड़ी काटते हैं तथा अन्य लोगों से पैसा लेकर कटवाते हें ओर अपने पर के सामने लकड़ियों को भण्डारित कर बेचते हें।

3. उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आर्थिक लाभ के उद्देश्य से रिविजनकर्त्ता द्वारा वन क्षेत्र से हरा लकड़ी जलावन हेतु बिक्री के लिए बिना परिवहन अनुज्ञा पत्र के औरंगाबाद लाया जा रहा था।

उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर रिविजकर्त्ता के रिविजन आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

संबंधितों को सूचित करें।

ह०/–
27.03.2025
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार

लेखापीत एवं संशोधित
ह०/–
(बन्दना प्रेयषी)

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–08/2024...../प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–.....

प्रतिलिपि– श्री जितेन्द्र कुमार चौरसिया, पिता–श्री हीरामन चौरसिया, ग्राम–देव पोखरपर, पोस्ट+थाना–देव, जिला–औरंगाबाद, पिन–824202 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–08/2024...../प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–.....

प्रतिलिपि– जिला दण्डाधिकारी, औरंगाबाद/वन प्रमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद वन प्रमंडल, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–08 / 2024...1570/ प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–...01/4/25

प्रतिलिपि– विभागीय आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/4/25

(मोख्तारूल हक)
परामर्शी